बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 150610 पटना, दिनांक 03/06/2013

ग्रा.वि.-9(ख) बी0आर0डी0एस0 -68/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,

सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,

बिहार ।

विषय:- **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार अंतर्गत विभिन्न पदों पर अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मियों को मनरेगा के अतिरिक्त अन्य कार्यों में जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त नहीं किए जाने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक- 9669 दिनांक- 11.10.2007 एवं स्मार पत्र संख्या 5701 दिनांक 26.05.2010, साथ ही मुख्य सचिव बिहार के पत्रांक 4247 दिनांक 19.04.2011 का कृपया स्मरण करना चाहेंगे । उक्त पत्रों के द्वारा मनरेगा कर्मियों को मनरेगा के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य जैसे - चुनाव, साहायय, विधि व्यवस्था, जनगणना आदि कार्यों में नहीं लगाए जाने का निदेश दिया गया था, किंतु आज भी कतिपय जिलों से मनरेगा कर्मियों को उक्त कार्यों में लगाए जाने की सूचना प्राप्त हो रही है । इस क्रम में भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि मनरेगा अंतर्गत अनुबंध पर नियुक्त कर्मियों से किसी भी परिस्थति में मनरेगा के अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं लिये जा सकते हैं ।

अत: उक्त पत्रों के द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में पुन: परामर्श दिया जाता है कि मनरेगा कर्मियों को मनरेगा के अतिरिक्त अन्य कार्य जैसे- चुनाव, सहाय्य, विधि-व्यवस्था, जनगणना आदि में नहीं लगाया जाय ।

विश्वासभाजन

31.5.13

(अमृत लाल मीणा)

सचिव ।

D:\Anil Sir\An-letter\An- Letter - 160.docx